

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

### आदेश

सं० सं०-2/एल-177/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० स्वीटी ठाकुर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (चर्मरोग), बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना बिहार के द्वारा दिनांक-05.11.2025 से 19.12.2025 तक एवं दिनांक-22.12.2025 से 04.02.2026 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2220(25), दिनांक-22.10.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

(i)	दिनांक-05.11.2025 से 19.12.2025 तक	कुल-45 (पैंतालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-22.12.2025 से 04.02.2026 तक	कुल-45 (पैंतालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-177/2025-

94(2)

पटना, दिनांक 20/10/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/डा० स्वीटी ठाकुर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (चर्मरोग), बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W. K. 20/10/26  
सरकार के उप सचिव